राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1398/2017/अलवर.
2. अपील संख्या – 1399/2017/अलवर.

मैसर्स कैटरमेन कुजिन कंसेप्ट्स प्रा0 लिमिटेड,
होण्डा प्लांट के सामने, मेन रोड़, टपूकड़ा, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्रांधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भिवाड़ी, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सर्वेश जैन व श्री एस.के.जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/05/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 53 व 54/99929563755/RVAT/2016–17/अपी.प्राधि./अलवर में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भिवाड़ी, अलवर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि क्रमशः 2015–16 (जनवरी, 2016 से मार्च, 2016) व 2016–17 (अप्रैल, 2016) के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 22 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 17.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।

2. उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध जो अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, उसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर की जो मांग राशि जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 के लिये रूपये 14,88,140/– एवं माह अप्रैल, 2016 के लिये रूपये 2,71,139/– को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार की गयी हैं। चूंकि कर निर्धारण अधिकारी की

लगातार.....2

पत्रावली एवं उसके आदेश तथा अपीलीय आदेश के पठन पर यह पाया गया कि अपीलीय आदेश कर निर्धारण आदेश से सुसंगत प्रतीत नहीं होता है, अतः इस प्रकरण में पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का वर्णन किया जाना उचित होगा जो निम्नानुसार है।

4. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 3.6.2016 को अपीलार्थी फर्म का कर जमा नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जांच की गई थी क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जनवरी, 2016 से अप्रैल, 2016 तक जो कर विवरण—पत्रों में संग्रहित किया जाना बताया गया था उस कर राशि को जमा नहीं करवाया गया था, अतः कर जमा नहीं होने की स्थिति की जानकारी हेतु जांच की जाने पर यह पाया गया कि वर्ष 2015—16 की अन्तिम तिमाही माह जनवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 5/5.5 प्रतिशत की दर से कुल कर रूपये 14,88,140/— वसूल करना बताया गया था एवं वर्ष 2016—17 के प्रथम माह अप्रैल, 2016 के लिये 5.5 प्रतिशत की दर से कुल कर रूपये 2,71,139/— संग्रहित किया जाना घोषित किया गया था, परन्तु उस घोषित देय कर राशि को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया। इसका कारण पूछे जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 3.6.2016 की जांच के दौरान यह बताया गया कि 31 दिसम्बर 2015 तक गलती से 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर लिया गया था जबकि उन्हें 5 प्रतिशत कर दर से ही कर संग्रहित करना था अतः उनके द्वारा रिवाईज रिटर्न प्रस्तुत करते हुए एवं पूर्व में जमा राशि को अधिक कर जमा राशि मानते हुए आगे की अवधि अर्थात् जनवरी, 2016 से देय कर के विरूद्ध समायोजित किया जाना बता दिया गया, इसलिए उनके द्वारा माह जनवरी से अप्रैल 2016 तक का देय कर जमा नहीं करवाया गया।

5. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के आदेश पत्र के अनुसार वर्ष 2014—15 के लिये अपीलार्थी द्वारा रूपये 59,73,799/— की कर राशि के डेबिट नोट मैसर्स होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा0 लिमिटेड को जारी किये गये परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2015—16 की अन्तिम तिमाही अर्थात् जनवरी से मार्च तक के देय कर रूपये 14,88,140/— जो कि 5 प्रतिशत से वसूल किया गया था एवं वर्ष 2016—17 के प्रथम माह अप्रैल के कर रूपये 2,71,139/— का वसूल किया गया था उसके विरूद्ध उस राशि का समायोजन दिये जाने से इंकार करते हुए इन 4 महीनों की कर राशि को वसूली योग्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 22 के तहत कर वसूली के

लगातार.....3

लिये आदेश पारित किया गया, जिसमें पूर्व की कर राशि को अग्रेषित किये जाने एवं समायोजन देने को अस्वीकार करते हुए वसूली करने का आदेश दिया गया। अपने आदेश में कर निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि चूंकि दिसम्बर 2015 तक जो भी कर राशि अपीलार्थी द्वारा अपने एकमात्र ग्राहक मैसर्स होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा0 लिमिटेड से वसूल की गई थी वह राशि वेट अधिनियम की धारा 60(1) के तहत जब्त योग्य है अतः उस राशि का समायोजन नहीं दिया गया।

6. अपील के इस मामले में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह दिनांक 17.6.2016 के कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध व्यथित होने से है। दिनांक 17.6.2016 के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में करदेयता के बिन्दु अर्थात् अपीलार्थी द्वारा **'कुक्ड फूड'** किस दर से विक्रय किया जायेगा, पर कोई प्रश्न नहीं किया गया था बल्कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से कर राशि को ही मान्यता प्रदान की थी जो अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने विवरण—पत्रों में 5 प्रतिशत से एवं 5.5 प्रतिशत से दर्शाते हुए रूपये 14,88,140/— एवं 2,71,139/— को वसूल करने का आदेश दिया था अर्थात् इस आदेश में कर दर सम्बन्धी कोई विवाद न तो किया गया, न उस पर कोई निर्णय किया गया, बल्कि दिनांक 17.6.2016 का आदेश कर निर्धारण से सम्बन्धित आदेश ही नहीं था बल्कि कर निर्धारण अधिकारी 'स्वयं' ने अपने आदेश में केवल बकाया कर को जमा कराने की कार्यवाही के तहत यह धारा 22 में आदेश पारित किया गया है अर्थात् केवल बकाया राशि जमा करने का आदेश दिया गया है। इन दोनों ही अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी के जो आदेश हैं, वे कर निर्धारण से सम्बन्धित नहीं हैं एवं न ही इन दोनों आदेशों में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी की 5 प्रतिशत की कर दर को चुनौती दी है, बल्कि इन आदेशों में कर की वसूली में अपीलार्थी के समायोजन देने सम्बन्धी प्रार्थना को इस आधार पर खारिज किया गया है कि जो राशि वे पूर्व की अवधि में अधिक जमा होना बता रहे हैं वह राशि वास्तव में अपने ग्राहक मैसर्स होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा0 लिमिटेड से वसूल की गयी थी, अतः वह अधिक वसूल राशि होने से वह जब्त योग्य है अतः वह जब्त की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोई अधिक राशि अवशेष नहीं रहने से माह जनवरी से अप्रैल तक के देय कर जो कि 5 प्रतिशत के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दर्शाई गई थी, उसे स्वीकार करते हुए उसी राशि को जमा कराने के आदेश दिये गये थे।

लगातार.....4

7. पुनः यह विशिष्ठ उल्लेख किया जाता है कि इन दोनों आदेशों में कर निर्धारण नहीं किया गया है एवं न ही कोई कर दर के मामले में निर्णय दिया गया है, बल्कि केवल बकाया कर को जमा कराने के आदेश धारा 22 के तहत दिये गये थे।

8. उक्त आदेश दिनांक 17.6.2016 के विरूद्ध जो प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी थी वह अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनी गयी परन्तु अपीलीय अधिकारी ने आदेश की विषयवस्तु से अन्यथा बिन्दु अर्थात् कर दर पर विवेचन किया गया है। अपीलीय आदेश असम्बद्ध है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में कर दर के सम्बन्ध में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं किया गया था एवं बिना किसी कारण के अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वयं की ओर से कर दर को 14 एवं 14.5 प्रतिशत माना गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी का जो बकाया कर वसूली का आदेश विवादित था उसमें कर निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत की कर दर को मानते हुए ही बकाया राशि की मांग सृजित की थी। इस तरह इस प्रकरण में अपीलीय आदेश कर निर्धारण आदेश से पूर्णतया भिन्न एवं अप्रासांगिक है।

9. यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में रूपये 14,88,140/— एवं रूपये 2,71,139/— को यथावत रखा है उसमें कोई विवाद भी नहीं है बल्कि अपीलार्थी ने स्वयं ने यह राशि 5 प्रतिशत की कर दर से वसूल करना बताया है इस तरह अपीलीय आदेश पूर्णतया व्यर्थ होने से इस पर विचार व्यर्थ होगा, क्योंकि आदेश में स्वयं की ओर से 14 प्रतिशत कर दर मानना एवं अन्त में 5 प्रतिशत की दर को ही यथावत रखा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वंह राशि 5 प्रतिशत की दर से ही आरोपणीय थी और उसे ही यथावत रखा है अतः इस बिन्दु पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।

10. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपील की सुनवाई की गई जिसमें उन्होंने लिखित एवं मौखिक रूप से जो आधार दिये गये हैं, उसमें मात्र यह बल दिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स होण्डा मोटरसाईकिल एण्ड स्कूटर इण्डिया प्रा0 लिमिटेड की कैन्टीन में पके हुए खाने (Cooked food) का विक्रय करने से वह 5 प्रतिशत से ही कर योग्य है एवं इस सम्बन्ध में विभिन्न अधिसूचनाओं का हवाला दिया गया है जिसमें दिनांक 30.7.2014 की अधिसूचना के अनुसार उनके द्वारा कैन्टीन में परोसे गये भोजन पर 5 प्रतिशत की दर से ही करदेय था, अतः 5 प्रतिशत की करदेयता के आधार पर उनके पूर्व के कर निर्धारण आदेश में 14 प्रतिशत से गलती से दिये गये कर को रिवाईज रिटर्न के जरिये समायोजन दिये जाने का निवेदन किया गया।

लगातार.....5

11. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलों का खारिज करने का निवेदन किया।

12. इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं आदेश के उक्त वर्णित अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित विषयों से परे आदेश पारित किया गया है क्योंकि कर निर्धारण आदेश में केवल बकाया वसूली किये जाने का आदेश किया गया था एवं उस आदेश में कर दर सम्बन्धी किसी तरह का निर्णय नहीं दिया गया था बल्कि अपीलार्थी द्वारा जो विगत कर सम्बन्धी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें 5/5.5 प्रतिशत से कर दर दर्शाई गई थी उसे स्वीकार करते हुए ही कर राशि वसूली योग्य मानी गयी थी तथा केवलमात्र पूर्व की अवधि में अधिक वसूल की गई राशि का समायोजन दिये जाने से इंकार किया गया था एवं केवल यह उल्लेख किया गया है कि उस पूर्व की अवधि वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के दौरान निर्धारित कर दर से अधिक कर दर से संग्रहित कर जब्त योग्य है अतः वह जब्त किया जा सकेगा एवं वह अधिक जमा राशि इस अवधि में समायोजन योग्य नहीं है। इस तरह इस आदेश में न तो वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के माह दिसम्बर तक की अवधि में 14 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत की दर से संग्रहित कर के विधिक या अविधिक होने सम्बन्धी निर्णय किया गया है न ही उस संग्रहित कर को जब्त किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 22 में किये गये उक्त कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध किसी भी तरह का आदेश किया जाना उचित नहीं था क्योंकि उसमें न तो कोई त्रुटि थी न ही कोई विधिक विवाद का बिन्दु था, बल्कि कर निर्धारण अधिकारी ने इन आदेशों से केवल बकाया कर वसूल करने के आदेश दिये हैं।

13. जहां तक वर्ष 2014—15 एवं वर्ष 2015—16 के माह दिसम्बर, 2015 तक के मामले में कर की कर दर एवं कर निर्धारण में संग्रहित कर को जब्त करने, नहीं करने या संग्रहित कर को अपने ग्राहक को लौटाने से उसके रिफण्ड सम्बन्धी विषय है, जो कि अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अपनी सुनवाई में हमारे समक्ष प्रस्तुत किये हैं, वे यहां निर्णय योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 तक जो भी कर वसूल किया है उसकी बाद में जानकारी होने पर उस कर राशि को अपने ग्राहक को लौटाते हुए उसका समायोजन चाहा गया है वे सभी विषय वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के कर निर्धारण से सम्बन्धित हैं एवं हमारे समक्ष प्रस्तुत आदेशों में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दर 5 प्रतिशत होना स्वीकार करते हुए बकाया कर वसूली का आदेश किया गया है। यह भी

लगातार.....6

उल्लेख करना उचित होगा कि हमारे समक्ष वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के दिसम्बर तक के आदेशों की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में उस पर कोई टिप्पणी किये बिना अपीलीय आदेश को अप्रासांगिक अवधारित करते हुए निरस्त किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे वर्ष 2014—15, 2015—16 एवं 2016—17 के वार्षिक कर निर्धारणों को पारित करते हुए, यदि विधि अनुसार अपीलार्थी को अधिक वसूल की गयी राशि रिफण्ड योग्य होती है तो उसका समायोजन दिया जावे एवं यदि कर निर्धारण अधिकारी उसे विधिनुकूल जब्त किया जाना निर्णीत करते हैं तो उस स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी पुनः अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

14. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण आदेश पारित करते समय अपीलीय आदेश दिनांक 28.6.2017 में दिये गये विवेचन एवं निर्णय का कोई प्रभाव प्रदान नही करें** बल्कि स्वतंत्र रूप से कर दर एवं संग्रहित कर को जब्त करने सम्बन्धी स्वविवेक से निर्णय प्रदान करें। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर दर सम्बन्धी जो भी विवेचना की गयी है उसे सारहीन मानते हुए इस आदेश के जरिये अपास्त किया जाता है।

15. यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर निर्धारण आदेश में कर दर को 5 प्रतिशत ही माना गया है एवं वर्ष 2014—15 व 2015—16 के लिये भी कर दर 5 प्रतिशत मानते हुए यह अवधारणा भी दी गयी है कि अधिक संग्रहित कर अर्थात् जो 14 प्रतिशत वसूल किया गया है वह जब्त योग्य है। इस तरह इस प्रकरण में कर दर सम्बन्धी कोई विवाद इस आदेश के जरिये उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत की कर दर को ही स्वीकार किया है एवं सुसंगत अवधि के आदेशों में अधिक संग्रहित कर को जब्त किये जाने का निर्णय दिया गया है।

16. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 के सम्पूर्ण कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए विधिसम्मत निर्णय करें।

17. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य